IV 1983

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

VIJAY KUMAR Lic No.47/18 Greater Noida, Dadri

Certificate No.	:	IN-UP60247908437262T
Certificate Issued Date	:	09-Sep-2021 04:45 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14044004/ DADRI/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1404400409347328505824T
Purchased by	:	GYAN EDUCATION TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	OFFICE-VILL-PALLA TEH-DADRI G.B.NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GYAN EDUCATION TRUST
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	GYAN EDUCATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

E-STAMP
LOCKED

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

Please write or type below this line

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

0004294872

2

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प–750 / रूपये

1. ट्रस्ट का नाम :– ''ज्ञान ऐजूकेशन ट्रस्ट ''
2. पंजीकृत कार्यालयः–ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पल्ला परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ0 प्र0) में स्थित होगा जो आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान पर बदला जा सकता हैं।
3. कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य :–

1. खेलकूद के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना व असहाय व गरीबं खिलाडियों को उनका बेहतर भविष्य में सहयोग देना।
2. शिक्षा के विकास हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान प्रावैधिक, वोकेशनल प्राथमिक विद्यालय व तकनीकी शिक्षण संस्थान, उच्चतर विद्यालय, तकनीकी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ऑटो नोमस बोर्ड व डीम्ड विश्व विद्यालय आदि की स्थापना करना।
3. गरीबों की सहायता हेतु धमार्थ चिकित्सालय / अस्पताल आदि की स्थापना करना व गरीब अनाथ व असहायों को निरन्तर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना ।
4. नशा मुक्ति केन्द्र, विधवा आश्रम, धर्मशाला, मन्दिर व अन्य धर्मस्थलों की स्थापना करना ।
5. कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से आधुनिक प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना व ट्रेनिंग करांना।
6. छात्रों के मानसिंक व बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालयों की स्थापना करना।
7. छात्रों के स्वास्थ को दृष्टिगत रखते हुए मनोरंजन केन्द्रो, व्यायामशालाओं की स्थापना करना।
8. समय–समय पर सामान्य ज्ञान तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करना।
9. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना तथा उनके संचालन हेतु मार्ग–दर्शन करना।
10. भूकम्प, बाढ, व अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पीडित व्यक्तियों की सहायता करना व राहत सामग्री पहुँचाना ।
11. गरीब निर्धन कन्याओं के उचित शिक्षा, वैंवाहिक संस्कार सम्पन्न कराना।
12. गरीब बचचो / छात्रों को पुस्तक व शिक्षण सामग्री वितरित करना।
13. निर्धन व गरीब लोगो के लिए जगह–जगह चिकित्सा सम्बन्धी कैम्प लगाए जाना व दवाईयों का वितरण करना व परिवार कल्याण एडस / पोलियों आदि संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा विभिनन तरह के कार्यक्रमों का संचालन करना।

Manoj Kumar

MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

14. असहाय व गरीब/निबल एवं अनाथ बचचो की परवरिश करने हेतु अनाथलयों की स्थापना एवं संचालन करना।
15. असहाय वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल एवं रख–रखाव करने हेतु वृद्ध आश्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।
16. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना व चंदा, दान, ऋण अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व भूमि, भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित करना, हस्तातरण अथवा पट्टे या किराये पर लेंना व बंधक रखना व अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तांतरण करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एवं सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानो से अनुदान व ऋण प्राप्त करना।
17. किसी भी प्रकार मनुष्य, प्राणी, जीव–जन्तु के हित में कार्य करना सहायता करना ।
18. निर्धन, असहाय, विकलांग बच्चों को निशुक्ल शिक्षा प्रदान करना व छात्रवृत्ति दिलाना। सरकार द्वारा विकलांगों हेतु चलायी जा रही योजनाओं को क्रियान्वित करना और सरकार द्वारा सहायता दिलाना ।
19. सिलाई–कढाई, बुनाई, कटाई, हस्तशिल्प, पेन्टिंग, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर व टाइपिंग आदि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित कर उन्हे स्वःरोजगार व आत्मनिर्भर बनाना व लघु उधोगो की स्थापना करना।
20. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर कार्यक्रम संचालित करना व समाज के हितार्थ हेतु समय–समय पर लोगों को सामाजिक न्याय एवं उत्थान हेतु हर सम्भव कार्य करना व कार्यक्रम का संचालन कराना।
21. समय–संमय पर सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करांना व उनका संचालन करना। प्रचार व प्रसार के लिए पत्र–पत्रिकाओं का प्रबन्ध करना।
22. समाज में फैल रही कुरीतियों एवं बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना।
23. पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करंना।
24. विधवाओं व वृद्धों को पेन्शन दिलाना व स्वरोजगार दिलाने हेतु कार्य करना व ग्राम विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर संचालन करना ।
25. मानव अधिकारो की रक्षार्थ व गौरक्षा के लिए संघर्ष करना और गौशाला तथा अन्य आश्रम की स्थापना करना।
26. संगीत नत्य व नाट्य प्रशिण केन्द्रों की स्थाना तथा संचालन करना।

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

अतः मैं **श्रीमती धर्मवती देवी पत्नी स्व0** ज्ञानचन्द सिंह निवासी ग्राम पल्ला परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0) आधार कार्ड संख्या–971107010294 मो0 न0–9350910738 चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थाना करता हूँ। इस ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य बिना लाभ एवं हानि के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए क्षेत्र का सामाजिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना होगा।

मैं संस्थपक श्रीमती धर्मवती देवी "ज्ञान ऐजूकेशन ट्रंस्ट" की स्थापना के निमित अंकन–11000/–रू0 प्रारम्भिक रूप में प्रदान करता हूँ जो उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के निमित संचित होगा।

<u>पंजीकृत कार्यालयः</u>– ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पल्ला परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ0 प्र0) में स्थित होगा। जो ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं हैं। ट्रस्ट के संचालन के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड होगा जिसमें इस संस्था की रजिस्ट्री के समय निम्नलिखित ट्रस्टी होगें :–

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	श्रीमती धर्मवती देवी	स्व0 ज्ञान चन्द सिंह	अध्यक्ष
2	यादराम सिंह	स्व0 ज्ञान चन्द सिंह	उपाध्यक्ष
3	मनोज कुमार	स्व0 ज्ञान चन्द सिंह	कोषाध्यक्ष
4	आनन्द कुमार	स्व0 ज्ञान चन्द	सचिव
5			

1. ट्रस्ट में अध्यक्ष आजीवन रहेंगे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनका पुत्र उत्तराधिकारी होगें व उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षा/अध्यक्ष होगें।
2. यादि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट छोडना चाहता है तो तीन महीने पूर्व नोटिस देगा । भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट में किसी भी अन्य व्यक्ति को सदस्य/ ट्रस्टी के रूप में शामिल किया जा सकता हैं।
3. यदि कोई सदस्य ट्रस्ट से पृथक होना चाहे अथवा उसका स्वर्गवास हो जाये अथवा उपरोक्त ट्रस्ट शेष सदस्यों/ट्रस्टी द्वारा उसे अक्षम अयोग्य घोषित कर दिया जाये तो वह व्यक्ति ट्रस्टी नहीं रहेगा। बोर्ड के सभी निर्णय सदस्यों/ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से लिये जायेंगे।

Manoj kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

4. ट्रस्ट के कार्यो के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निर्णय सर्वसम्मति से किया जायेगा। ट्रस्ट बोर्ड उपर्युक्त तथा उचित समझने पर सम्बन्धित कार्यो के निवर्हन हेतु अपनी सहायता के लिए उपसमितियों तथा परामर्श दाता समिति का गठंन कर सकता हैं और आवश्यकतानुसार बोर्ड सम्बन्धित समिति को निश्चित समय के लिए यथा सम्भव अधिकारं भी दे सकता हैं।
5. ट्रस्टी बोर्ड ट्रस्ट के कार्यो हेतु नियम व उपनियमं का स्वयं ही रचना करेगा तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर उनमें परिवर्तन परिवर्धन तथा संशोधन करने की शक्ति भी तय करेगा तथा उपरोक्त सभी को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उपरोक्त सभी प्रकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों को उचित भत्त की व्यवस्था भी कर सकता हैं।
6. ट्रस्ट बोर्ड को यह अधिकार भी अधिकार होगा कि ऐंसे किसी भी दान, सहायत, चाहे यह सहायता नकद अथवा चल–अचल, सम्पत्ति के यप में हो, को स्वीकार कर सकता हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं मूल सिद्धान्तों के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष में अतिरिक्त धन होने पर ट्रस्ट द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।
7. ट्रस्ट के कोष के लिए किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक व किसी अन्य निजी व प्राईवेट बैंक में खाता खोला जायेगा। यह खाता आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिए चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप में खोला जा सकता हैं।
8. इन खातों का संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष दोनों में से किसी के भी हस्ताक्षरों द्वारा संचालित होगें।
9. ट्रस्ट के धन को बैंक में इस प्रकार से जमा किया जायेगा कि समय–समय पर यथा संशोधन आयकर अधिनियम 1951 की धारा 11 की उपधारा 5 में स्पष्ट किये गये हैं। अन्य संस्थाओं को भी यथा सम्भव सहायता कर सकता हैं।
10. ट्रस्ट के सदस्यों की शंकर की दशा में इस बात का विनिश्चय करने की शक्ति होगी कि क्या धन या सम्पत्ति की इस विलेख के प्रयोजन के लिए पूंजी या आय माना जाये अर्जित आय या पूंजी में से कोई व्यय या सर्व संदत या वहन किया जाना चाहिए तथा ऐसा प्रत्येक विनिश्चय आय देकर तथा निर्णायक होगा। किन्तु इसमें अर्न्विष्ट कोई भी बात ट्रस्ट के सदस्यो को इस विलेख द्वारा अप्रत्याधिकृत किसी प्रयोजन के लिए ट्रस्ट की आय या संग्रह की प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जायेगी।

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

11. इस विलेख के ट्रस्ट सदस्य तत्समय ट्रस्ट अथवा इस विलेख की शक्तियों के निष्पादन में या उसके बारे में किये गये सभी व्ययों की उनके पास की निधि या धन में स्वयं प्रतिपूर्ति कर सकते हैं और अदायगी कर सकते हैं।

12. इस विलेख के तथा उन नियमों, विनियमों तथा उपविधियों, के जो समय–समय पर ट्रस्ट कोर्ड द्वारा बनाये जाये, उपबंधों के अध्ययीन ट्रस्ट बोर्ड या उसकी कार्य पालिका समिति या कोई भी समिति या उपसमिति या कोई, अन्य निकाय या उसका कोई भी पदाधिकारी या एक या एक से अधिक ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट का प्रबन्ध और प्रशासन चलायेंगे और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगें औ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कार्य और बातें करेंगें जो आवश्यक हों।

क–नकद या वस्तु के रूप में दान, अनुदान या अभिदान प्राप्त करना। नकद दान लेने के दशा व ट्रस्ट से सम्बन्धित अन्य सभी खर्चो में रसीद/स्लिप आदि पर धनराशि अंकित होगी व पूरा लेन–देनरिकार्ड सुरक्षित कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी व देखरेख में रहेगा व समय–समय पर ट्रस्टियों के सामने आवश्यकतानुसार दिखाया जायेगा।

ख–ट्रस्ट के किसी भी धन को जो उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियों में या किसी अन्य रीति में जो समीचीन समझी जाये, विनियोजित करना और उसके सम्बन्ध में व्यवहार करना।

ग–इस विलेख के ट्रस्ट को चलाने के लिए कोई समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ और परामर्शी या व्यक्तियों या अभिकर्ता या अटार्नी, जो वह आवश्यक समझें ऐसे पारिश्रामिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर वह उचित समझें, नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यों की कार्यान्वित करने के लिए ऐसे व्यय करने और इस प्रयोजना के लिए ट्रस्ट के किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी सब शक्तियों से उन्हे विनिहत करना।

घ–न्यायालय में या उसके बाहर सब वाद कार्यवाहियों और अन्य कार्यवाहियों की संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तय करना समझौता करना और सब मतभेद और मॉगें तय करना और ऐसे कोई या सब वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियां, मतभेद और मॉगे मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखा का समायोजित और तय करना उससे सम्बन्धित सब बातें करना ।

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

ड–ट्रस्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति या सम्पत्तियों क्रय करनां, किराये पर लेना, पट्टे पर लेना और निर्माण करना।

च–ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर उचित समझी जायें, ध्न उधार लेना और दायित्व करना और ऐसे ऋणों और हितों के लिए प्रतिभूति देने हेतु उसके सम्बन्ध में ऐसे करार हस्तांतरण पत्र विलेख और बातें करने के लिए प्राधिकृत करना ।

छ–ट्रस्ट निधि का सत्समय भाग बनने वाली किसी अचल सम्पत्तियों में सुधार करने मरम्मत करने या परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति सहित ऐसी राशि में जो वह उचित समझे उसकी या उनकी व्यवस्था करना और किसी भी प्रकार के पट्टे मन्जूर करना या नवीनीकरण करना और पट्टी का अभ्यपर्ण स्वीकार करना।

ज– ऐसे निबन्धों और शर्तो पर जो वह उचित समझे ट्रस्ट निधि के तत्समय भाग बनने वाली किसी चल या अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों का विक्रय या उन्हे समनुदेशित करना और प्रयोजन के आनवंगिक या सहायक ऐसे सब काम करना जो आवश्यक हो।

13. किसी कठिनाई विवाद या मतभेदी दशा में इस ट्रस्ट के किन्हीं भी चार ट्रस्टियों का निर्णय अन्तिम होगा, किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के पश्चात ट्रस्ट के सदस्य, ट्रस्ट के उत्तराधिकारी को पदाभिहित करेंगे और इस विलेख को लागू करने के सम्बन्ध में एवं ट्रस्टी इस विलेख के निर्वचन के बारे में किसी कठिनाई विवाद या मतभेद की दशा में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

14. इस विलेख के ट्रस्ट के सदस्यो तथा कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति या उपसमिति या समिति के सदझयो, विशेषज्ञों, परामर्शियों पदाधिकारियों, कार्यपालिका के पदाधिकारियों या स्टाफ को ट्रस्ट के निष्पादन कार्यान्वियन और उसको पूरा करने के लिए ट्रस्ट को निधि से ट्रस्ट के सदस्यों के विवेकानुसार रकम जमा की जा सकेगी।

15. ट्रस्ट के सदस्यों किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में ऐसी किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था को जिसके उद्देश्य इस विलेख के उद्देश्य समान हैं, इस आश्य और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा सांजिल न्याय का अनिवार्य अंग माना जायेगा, इस विलेख द्वारा सांजिल इस न्यास के साथ सभा में लिप्त करने के लिए अनुज्ञात करने और मन्जरी देने हेतु स्वतन्त्र होगें परन्तु ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेंगी और जिनमें इस ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन अर्न्तवलित हो या जो ट्रस्ट के उद्देश्यों से असंगत या प्रतिकूल हो।

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

16. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट समाप्त हो जाता हैं ऐसी दशा में ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देनदारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टी ना बॉटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उद्देश्य इसी ट्रस्ट के अनुरूप हो, को सौंप दी जायेगी।

17. आज निष्पादन की तारीख पर उपर्युक्त ट्रस्ट के नाम कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा हैं।

18. कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट की धनराशि अथवा ट्रस्ट के किसी भी भाग से अथवा चल अचल सत्पत्ति से अपने निजी/अपने किसी वारिसान/अपने किसी पारिवारिक का कोई निजी फायदा नहीं पहुँचाएगा एवं बिना किंसी लाभ व हानि इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनकर समाज सेवा/ट्रस्ट के कार्य करता रहेगा।

19. यह कि किसी भी ट्रस्टी या सदस्य को अध्यक्ष व ट्रस्टी की सहमति से पृथक किया जा सकता हैं।

20. यह कि ट्रस्ट के बैंक खाते के संचालन की सभी जिम्मेदारिया कोषाध्यक्ष की होगी।

21. अतः आज हम सभी ट्रस्टियों ने पूर्णतः पढकर सन्तुष्टि कर ली है और केवल श्रीमती धर्मवती देवी ट्रस्टी/प्रबन्धक (सैटलर) समक्ष सब–रजिस्ट्रार उपस्थित होकर ट्रस्ट डीड को पंजीकृत करा <u>रहा/रही</u> हूँ।

Manoj Kumar
MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

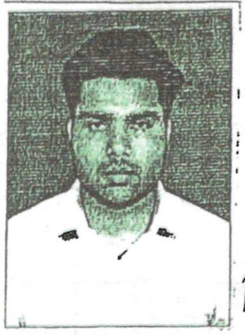

अतः हम अपंनी स्वस्थ इन्द्रियों, स्वरूंथ मस्तिष्क व स्वस्थ चित्त रहते हुए अच्छी सेहत व सही दिमागी हालत में खूब सोच–समझकर यह ट्रस्ट नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

....

गवाह नं0–1 प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र स्व0 जय प्रकाश शर्मा निवासी ब्रहमपुरी कस्बा दादरी जिला गौतमबुद्धनगर मो0 न0–9458553553

गवाह–न0–2 अंकित कुमार पुत्र श्री याद राम सिंह निवासी ग्राम पल्ला दादरी जिला गौतमबुद्धनगर मो0 न0–9717070208

Manoj Kumar

MANAGER
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
TILAPTA, GR. NOIDA (G.B.N)

दिनांक–09–09–2021 मसौदाकर्ता अनुज पाण्डे एडवोकेट

तहसील कम्पाउंड दादरी गौतमबुद्धनगर।

आवेदन सं०: 202100742038873

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 528 के पृष्ठ 307 से 328 तक क्रमांक 1983 पर दिनाँक 09/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विकास वर्मा प्रभारी . -
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर
09/09/2021

दफ्तर सब रजिस्ट्रार दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश